

पत्रांक- प्र02/BSPTCL-01/2014

पटना, दिनांक - \_\_\_\_\_

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 70.00 करोड़ (सत्तर करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड प्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0एस0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (एम0भी0ए0)	भोल्टेज लेवल (के0भी0)
मधुबनी	झंझारपुर	2x10	132/33
बेगूसराय	बलिया	2x10	132/33
	मंझौल	2x10	132/33
	बखरी	2x20	132/33
सुपौल	त्रीवेणीगंज	2x10	132/33
	निर्मली	2x20	132/33
दरभंगा	बेनीपुर	2x10	132/33
सीतामढ़ी	बेलसंड	2x10	132/33
पू0 चम्पारण	पकड़ी दयाल	2x20	132/33
	चकिया	2x20	132/33
समस्तीपुर	शाहपुर पटौरी	2x20	132/33
पूर्णिमा	बनमंखी	2x20	132/33
भोजपुर	पीरो	2x20	132/33
कटीहार	मनीहारी	2x20	132/33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रुपये आवकलित की गयी।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या 840 दिनांक 24.02.2014 द्वारा 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-2304 दिनांक 07.07.2014 द्वारा 10.00 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या-3079 दिनांक 23.08.2014 द्वारा 30.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है।

① Cash  
② Rainindra  
4  
2/1/15

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।
5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।
6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक

ज्ञापांक- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०५/२०१४

**प्रतिलिपि:**-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०५/२०१४ - ५४

पटना, दिनांक-०९-०७-१५

**प्रतिलिपि-** उप सचिव, ऊर्जा विभाग/आई० टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

60 cr.

पत्रांक - 502 / दिनांक 09.12.2014

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 60 करोड़ (साठ करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार राज्य के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु बनायी गयी योजना पर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्रदान की गयी है। इस योजना अन्तर्गत बिहार राज्य में मात्र 11 ग्रिड सब-स्टेशन यथा मोतीपुर, समस्तीपुर (नया), सुपौल (नया), मुसहरी, गया, जक्कनपुर, जमालपुर, भोखपुरा, नवादा एवं किशनगंज (नया) में 220/132 के 0भी0 लेवल ग्रिड एवं शिवहर 132/33 के 0भी0 लेवल ग्रिड का निर्माण होना है। बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का भीष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। अतः इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0एस0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है। निर्माणाधीन ग्रिड की क्षमता का निर्धारण उस ग्रिड के लोड के आधार पर किया गया है। वितरण कम्पनी से आग्रह किया गया है कि इन राजस्व अनुमंडलों में बेहतर ढंग से वितरण प्रणाली योजना बनायी जाय ताकि इन राजस्व अनुमंडलों में लोड की वृद्धि हो सके। इसी आलोक में बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या 5238 दिनांक 09.12.2014 द्वारा 100.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है।

2. राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 60.00 करोड़ (साठ करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०ऊ०

दि. 21/12/15

उक्त राशि मुख्य रूप से 4801-विजली परियोजनाओं पर पुंजगत परियोजनाओं पर मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमा में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गौंधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-05/2014 के पृष्ठ संख्या 06/टि० पर दिनांक 02.12.2014 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-05/2014 के पृष्ठ संख्या-17/टि० पर दिनांक 24.06.15 को प्राप्त है।

9. पूर्व में निर्गत स्वीकृतादेश संख्या 958 दिनांक 24.03.2015 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-05/2014 1778 दिनांक 25/02/2015  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड/ऊर्जा सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग



महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 125.00 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0एस0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है।

2.

प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (एम0भी0ए0)	भास्टेज लेवल (के0भी0)
मधुबनी	झंझारपुर	2x10	132/33
	बलिया	2x10	132/33
	मंझौर	2x10	132/33
बेगुसराय	बखरी	2x20	132/33
	त्रिवेणीगंज	2x10	132/33
सुपौल	निर्मली	2x20	132/33
	बेनीपुर	2x10	132/33
दरभंगा	बेलसंड	2x10	132/33
सीतामढ़ी	पकड़ी दयाल	2x20	132/33
	चकिया	2x20	132/33
पू0 चम्पारण	शाहपुर पटौरी	2x20	132/33
समस्तीपुर	बनमंखी	2x20	132/33
पूर्णिमा	पीरो	2x20	132/33
भोजपुर	मनीहारी	2x20	132/33
कटीहार		2x20	132/33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रुपये आवकलित की गयी।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या 840 दिनांक 24.02.2014 द्वारा 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-2304 दिनांक 07.07.2014 द्वारा 10.00 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या-3079 दिनांक 23.08.2014 द्वारा 30.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यादेश संख्या-1777 दिनांक 25.06.2015 द्वारा 70.00 करोड़ रुपये उपलब्ध करायी गयी है।

1340/म(14)  
14-07-18

558/064(CA)  
14/7/15

14/7/15

558/064(CA)  
14/7/15

14/7/15

14/7/15

4. पुनः राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 कैंभी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 125.00 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 का उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या प्र02/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या-8/टि0 पर दिनांक 18.02.2014 को प्राप्त है।
9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र02/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या 33/टि0 पर दिनांक 07.07.5015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 08/07/2015

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014 1921

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ अवर सचिव-सह -निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

21.825 Cr

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक -- प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-40/2013

पटना, दिनांक -

*(Handwritten signature)*



महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को 21.825 करोड़ (इक्विस करोड़ बेरासी लाख पचास हजार रुपये) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत संचरण क्षमता के विस्तार की महती योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में कई उपकरण यथा ट्रांसफार्मर, कंट्रोल एवं रीले पैनल, ब्रेकर इत्यादित उपकेन्द्रों में प्रस्थापित किए जाने हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटे इन आदि के जीर्णोद्धार की योजना बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 20 उपकेन्द्रों का आधुनिकरण एवं जीर्णोद्धार (असैनिक कार्यों को छोड़कर) करने की भी योजना प्रस्तावित है। इन मूल्यवान उपकरणों को प्रस्थापित करने, सुरक्षित संचालन एवं सुरक्षा हेतु उपकेन्द्र अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण असैनिक कार्य यथा आंतरिक सड़क, नियंत्रण कक्ष भवन, चहारदीवारी इत्यादि का समुचित सुदृढ होना अनिवार्य है। बहुत सारे वर्तमान ग्रिड उपकेन्द्र करीब 35/40 वर्ष पूर्व निर्मित हैं जिनकी असैनिक मरम्मती, सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार अत्यावश्यक है।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा इस योजना के अन्तर्गत नियंत्रण कक्ष मरम्मती, आवासीय भवन मरम्मती, विश्राम गृह मरम्मती, पहुँचपथ मरम्मती, पेयजल एवं निस्सारण व्यवस्था, चहारदीवारी मरम्मती कार्य, कार्यालय मरम्मती, स्वीचयार्ड का विकास किया जाना है। इस योजना की कुल लागत 76.825 करोड़ रु0 आकलित की गई है। इस योजनान्तर्गत सभी कार्य दो चरणों में कराया जाना है। प्रथम चरण में ग्रिड उपकेन्द्र स्थित नियंत्रण कक्ष भवन, पहुँचपथ, विश्राम गृह, चहारदीवारी इत्यादि के मरम्मति के कार्य किये जायेंगे। द्वितीय चरण में उपरोक्त वर्णित कार्यों को छोड़कर ग्रिड उपकेन्द्रों के परिसर में अवस्थित आवासीय भवन एवं इससे संबंधित कार्य कराए जायेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या-3773 दिनांक 22.07.2013 द्वारा 25.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-3077 दिनांक 30.08.2014 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को 30.00 करोड़ रुपये उपलब्ध उपलब्ध करायी गयी है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को 21.825 करोड़ (इक्विस करोड़ बेरासी लाख पचास हजार रुपये) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०उ०

1338/MD (Tr)  
14-07-15

38. M (Tr)  
14/7/15

57/DG/CF  
14/7/15

14/7/15

*(Handwritten signature)*

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश भाग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से करं इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-४०/२०१३ के पृष्ठ संख्या-०६/टि० पर दिनांक ०९.०७.२०१३ को प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-४०/२०१३ के पृष्ठ संख्या १८/टि० पर दिनांक ०७.०७.२०१५ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-४०/२०१३

दिनांक .....

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-४०/२०१३

दिनांक ०८/०७/२०१५

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग



पत्रांक - प्र02/बि0स्टेट0पावर0ट्रांसमिशन0कंपनी0लि0-06/2014  
सेवा में,

पटना, दिनांक - \_\_\_\_\_

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण होने से उत्तरी एवं मध्य बिहार के वर्तमान एवं भविष्य में बढ़े हुए विद्युत मांग की पूर्ति तथा निकटवर्ती ग्रिड सब-स्टेशन में अतिरिक्त विद्युत माध्यम उपलब्ध कराने से गुणवत्तापूर्ण बिजली उचित विद्युत विभव के साथ उपलब्ध हो सकेगी।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 में विद्युत संचरण के क्षमता विस्तार, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध उपलब्धता हेतु 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) की लम्बाई ज्यादा होने के कारण इसका रख-रखाव एवं संचालन कठिन एवं अव्यवहारिक है। इसके स्थायित्व हेतु लाईन के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की आवश्यकता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना की कुल लागत 106.09 करोड़ रुपये आकलित की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश सं0 987 दिनांक 25.03.2015 द्वारा प्रदान की गई थी परन्तु योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन संख्या 25 दिनांक-25.03.2015 द्वारा 2.7004 करोड़ (दो करोड़ सत्तर लाख चार हजार) रुपये विमुक्त नहीं गया था।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०ऊ०.....

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष -05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष -190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्र. में निवेश मांग सं० -10 उप शीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-06/2014 के पृष्ठ संख्या 08/टि० पर दिनांक 24.03.2015 को प्राप्त है।
9. वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्गत आवंटन आदेश संख्या-25 दिनांक 25.03.2015 को निरस्त किया जाता है।
10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-06/2014 के पृष्ठ संख्या-13/टि० पर दिनांक 08.07.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक .....

ज्ञापांक - प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-06/2014

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक : प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-06/2014-1947 पटना, दिनांक : 09-07-15

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

2507

152/26

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02/बि0स्टे0पा0ट्रा0कं0लि0-04/2014

पटना, दिनांक - \_\_\_\_\_

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के 17 अदद 132 के0भी0 डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रिंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के0भी0 लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़ रुपये) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा ऊर्जा की माँग/आवश्यकता में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज होने के अनुरूप विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षमता विस्तार की जा रही है। इसी के तहत विद्युत संचरण के क्षमता विस्तार, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध उपलब्धता हेतु 132 के0भी0 नई संचरण लाईनों की निर्माण की आवश्यकता है। परन्तु, नई लाईनों के निर्माण हेतु मार्ग अधिकार (ROW), प्राक्कलन राशि एवं समय की अधिकता को संज्ञान में लेते हुए मौजूदा डबल सर्किट टावर पर द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग का कार्य आवश्यक है। इसी आलोक में 17 अदद 132 के0भी0 डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रिंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के0भी0 लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या--5236 दिनांक 09.12.14 वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदान गयी है।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के 17 अदद 132 के0भी0 डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रिंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के0भी0 लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

कृ0पृ0ऊ0

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।
5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-04/2014 के पृष्ठ संख्या 06/टि० पर दिनांक 02.12.2014 को प्राप्त है।
7. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-04/2014 के पृष्ठ संख्या-12/टि० पर दिनांक 30.06.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक .....

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-04/2014

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक .....

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-04/2014 1885

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

6. 680.00 करोड़ रुपये बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0112 विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) - (बी०एस०पी०डी०सी०एल० के लिए) की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900112 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

237.53 करोड़ रुपये बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0113 विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) - (एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए) की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900113 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

270.00 करोड़ रुपये बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0114 विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) - (एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए) की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900114 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से किया जायेगा।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013 के पृष्ठ संख्या 152/टि० पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

9. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०ओ०आर० संख्या 330 दिनांक 11.02.16 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रत्यय अमृत)

सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013 459

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 17/02/2016

सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013 459

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०/ प्रबंध निदेशक, नार्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी / कम्पनी सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 17/02/2016

सचिव, ऊर्जा विभाग



₹ 680 (रु ८)

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02/बि0स्टे0पा0(हो)कं0 लि0-33/2013/457 पटना, दिनांक - 17/02/2016

सेवा में,

वित्त विभाग  
द्वारा  
अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

स्पेशल प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि० के अनुषंगी कम्पनियों की 9502.59 करोड़ रुपये (नौ हजार पाँच सौ दो करोड़ उनसठ लाख रुपये) की स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में विमुक्ति की गयी राशि 1487.53 करोड़ रुपये में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना मद से प्राप्त 300.00 करोड़ रुपये का समायोजन करते हुए शेष 1187.53 करोड़ रुपये को आवश्यकतानुसार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि०, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजनाओं की कुल राशि 9210.75 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। योजना के अन्तर्गत 5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है जिसमें (1) विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण के अवरोधों को दूर करने हेतु नॉर्थ बिहार में 935.27 करोड़ रुपये और साउथ बिहार में 968.86 करोड़ रुपये की योजना फेज-I, कुल 1904.13 करोड़ रुपये (2) विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण के अवरोधों को दूर करने के लिए नॉर्थ बिहार में 2099.50 करोड़ रुपये और साउथ बिहार में 1938.50 करोड़ रुपये की योजना फेज-II कुल 4038.00 करोड़ रुपये, (3) बिहार में विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II विस्तार परियोजना 472.53 करोड़ रुपये, (4) बिहार में विद्युत संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III 1958.47 करोड़ रुपये (5) अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की एन०-1 की 291.84 करोड़ रुपये की योजना एवं (6) विद्युत मंत्रालय/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर०जी०जी०भी०वाई० के अन्तर्गत) द्वारा स्वीकृत राज्य के 11 जिलों यथा अररिया, बाँका, भोजपुर, गया, किशनगंज, नालंदा, नवादा, पटना, पुर्णिया, रोहतास एवं सिवान के सभी गाँव, टोलों एवं वसावटों को पूर्णतः विद्युतीकरण की योजना जिसमें नार्थ बिहार के लिए 337.72 करोड़ रुपये और साउथ बिहार के लिए 499.90 करोड़ रुपये कुल 837.62 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 2125.00 करोड़ रुपये, 3903.61 करोड़ रुपये, 1961.02 करोड़ रुपये, 1221.12 करोड़ रुपये, कुल 9502.59 करोड़ रुपये व्यय का आवकन किया गया है।

2. तदनुसार राज्य सरकार द्वारा बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनियों की 9210.75 करोड़ रुपये (नौ हजार दो सौ दस करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की परियोजनाओं की स्वीकृति एवं विभिन्न परियोजनाओं के अवयवों (Components) को आवश्यकतानुसार ऊर्जा विभाग द्वारा परिवर्तित करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत योजना उद्भव्य 2125.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध बजट उपबंध के अधीन भारत सरकार द्वारा विमुक्ति के अनुरूप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि०, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को निवेश के रूप में पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश संख्या- 2820 दिनांक-04.08.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

कृ०पृ०उ०

3. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि में से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को निवेश के रूप में पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत कुल 2417.62 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राशि की विमुक्ति नहीं होने की स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता (BRG-ऊर्जा) मद में उपबंधित राशि में से 300.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 2450 दिनांक 23.08.2015 द्वारा इस शर्त के साथ की गयी थी कि यदि इस मद में भारत सरकार से राशि प्राप्त होगी तो इस राशि का समायोजन कर लिया जाएगा। इस राशि को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करा दी गई है।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्पेशल प्लान के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0 के अनुषंगी कम्पनियों की स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(12)PF-1/2011-1449 दिनांक 08.02.2016 द्वारा ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के लिए कुल 1487.53 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये हैं। तदनुसार 300.00 करोड़ रुपये समायोजित करते हुए शेष 1187.53 करोड़ रुपये की विमुक्ति नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रकार से कराया जाना है:-

राशि करोड़ रुपये में

Sl. NO.	Name of Scheme	Amount is to be sanctioned			
		SBPDCL	NBPDCL	BSPTCL	TOTAL
1	Strengthening of Power distribution and removal of Distribution Constraints in North and South Bihar. Phase-I	157.53	190	0	347.53
2	Strengthening of Power distribution and removal of Distribution Constraints in North and South Bihar. Phase-II	20	0	0	20.00
3	Strengthening of Distribution system Phase-II Part-C (Aerial Bunch Cable)	0	5	0	5.00
4	Full scale electrification of villages in 11 district (RGGVY)	60	75	0	135.00
5	Strengthening of Sub Transmission System in Bihar Ph.-II extension	0	0	50	50.00
6	Strengthening of Sub Transmission System in Bihar Ph. -III	0	0	425	425.00
7	Strengthening of Sub Transmission System in Bihar Ph. -III Part-II	0	0	75	75.00
8	Strengthening of Sub Transmission System in Bihar Ph. -III (Capacity augmentation N-1)	0	0	130	130.00
	<b>Total</b>	<b>237.53</b>	<b>270.00</b>	<b>680.00</b>	<b>1187.53</b>

5. इसी आलोक में स्पेशल प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0 के अनुषंगी कम्पनियों की 9502.59 करोड़ रुपये (नौ हजार पाँच सौ दो करोड़ उनसठ लाख रुपये) की स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में विमुक्ति की गयी राशि 1487.53 करोड़ रुपये में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना मद से प्राप्त 300.00 करोड़ रुपये का समायोजन करते हुए शेष 1187.53 करोड़ रुपये को आवश्यकतानुसार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।





बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक— प्र02/बि0स्टे0पा0ट्रा0कं0लि0-05/2014

पटना, दिनांक - \_\_\_\_\_

प्रेषक:

कामेश्वर शुक्ला,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
ऊर्जा विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:— बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की योजना के कार्यान्वयन हेतु 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-1904 दिनांक 07.07.2015 के आलोक बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
4600000000.00	1550000000.00	1000000000.00	2550000000.00	2050000000.00

2. उक्त राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—उप मुख्य शीर्ष—05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष—190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश भांग सं0-10 उपशीर्ष—0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड— P4801051900105 विषय शीर्ष 5401—निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

कृ०पृ०उ०

9

4. राज्य सरकार द्वारा विहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल का ही वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 केभी0 क्षमता वाली (ए0आई0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 70.00 करोड़ (सत्तर करोड़ रुपये) रुपये विहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या प्र02/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या-8/टि0 पर दिनांक 18.02.2014 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र02/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या 31/टि0 पर दिनांक 24.06.15 को प्राप्त है।

10. पूर्व में निर्गत आवंटन आदेश संख्या-20 दिनांक 24.03.2015 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014 1777

दिनांक 25/02/2015

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ अवर सचिव-सह -निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग



# BTC FORM - 4

[See Rule 42]

CHALLAN No .....

Treasury .....

Major Head <span style="float: right;">481</span>	Treasury Code <span style="float: right;">115</span>
Sub Major Head <span style="float: right;">ES</span>	DDO Code <span style="float: right;">ENECCB</span>
Minor Head <span style="float: right;">190</span>	Bank Code <span style="float: right;">0000153</span>
Sub Head <span style="float: right;">011</span>	Bill Code <span style="float: right;">P4801ES190011</span>

Challan of cash paid into the S.B.P. Bank at State Bank of Patna

To be filled in by the Remitter				To be filled in by the Departmental officer or the Treasury		
By Whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts		Head of Account	Order to the Bank
			Rs.	P		
Name .....	Signature .....	दुर्गेश कुमार पाण्डेय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना	693000000	/	K8448001200044	Correct Receive and grant Receipt  Signature and full designation of the officer ordering the remittance to be paid in <b>दुर्गेश कुमार पाण्डेय</b> निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना
			693000000			

\* (in words) Rupees Six crore ninety three

lacs only

\* To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer

Received payment

Date

Cashier/Treasurer

Accountant

Agent or Manager

Treasury Officer

Note - 1. In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs. 1,00,000/- do not require the signature of Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer. 2. Particulars of money tendered should be given on the reverse side in cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer on receipt of Bank's Daily Ticket

613

# BTC FORM - 4

[See Rule 42]

CHALLAN No ..... 4801

Treasury ..... P.T.S.

Major Head Sub Major Head Minor Head Sub Head	Treasury Code DDO Code Bank Code Bill Code
4801 05 190 0105	P.T.S. ENE 003 0000153 P 4801051900105

Challan of cash paid into the 2 B.D. Bank at State Bank of India, P.T.S.

To be filled in by the Remitter				To be filled in by the Departmental officer or the Treasury		
By Whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts		Head of Account	Order to the Bank
			Rs.	P		
Name Signature	<p style="text-align: center;">शुभम कुमार पाण्डेय निवासी एवं व्यवसायिक उज्जैन विभाग, फिरोजपुर, मध्य प्रदेश</p>	BSP TCL	23252000	/	K8448001200044	Correct Receive and grant Receipt
			23252000	/		<p style="text-align: right;">Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in</p> <p style="text-align: right;">Date: 02/02/16</p>

\* (in words) Rupees Two crore thirty two thousand only

\* To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.

Received payment

Date

Cashier/Treasurer

Accountant

Agent or Manager

Treasury Officer

Note - 1. In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs. 1,00,000/- do not require the signature of Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer. 2. Particulars of money tendered should be given on the reverse in cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer on receipt of Bank's Daily Ticket.

313

# BTC FORM - 4


[See Rule 42]

CHALLAN No .....

Treasury .. Bihar Khosla Bank ..

Major Head <u>4801</u>	Treasury Code <u>MTS</u>
Sub Major Head <u>05</u>	DDO Code <u>ENE003</u>
Minor Head <u>190</u>	Bank Code <u>0000153</u>
Sub Head <u>0105</u>	Bill Code <u>P4801051900105</u>

Challan of cash paid into the L.R.P. Bank at Bihar Khosla Bank

To be filled in by the Remitter				To be filled in by the Departmental officer or the Treasury	
By Whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts		Head of Account
			Rs.	P	
Name ..... Signature .....	<p>दुर्गाश कुमार पाण्डेय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना</p>	<p>BSPCL, Patna.</p>	<p>2,00,00,000/-</p>	<p>2,00,00,000/-</p>	<p>K8448001200044 Correct Receive and grant Receipt</p> <p style="text-align: right;">                       Signature and full designation of the officer ordering the  <u>दुर्गाश कुमार पाण्डेय</u>                      निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी                      ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना                 </p>

\* (in words) Rupees Two crore only.

\* To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.

Received payment	Date
Cashier/Treasurer	Treasury Officer
Accountant	Agent or Manager

Note - \*. In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs. 1,00,000/- do not require the signature of Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer. 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse. 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer on receipt of Bank's Daily Sheet.

By whom tendered  
Signature  
word  
Ret  
Cas  
- 1  
or, but  
: credi

Treasury Code-2011

# BTC FORM -4

Under Rs 14000000/-

[See Rule 42] (Obverse)

LAN No. ....

Treasury Sinchai Bhawan,

Major Head	4801	Treasury Code	PTIS
Sub Major Head	05	DDO Code	E.N.E.003
Minor Head	190	Bank Code	0000153
Sub Head	0105	Bill Code	P480105-1900105

Challan of cash paid into the ..... Bank at Sinchai Bhawan, Patna

To be filled in by the Remitter				To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By Whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts		Head of Account	Order to the Bank
			Rs.	P		
Name : Signature :		BSPTCL	14,00,00,000/-		K8448001200044	Correct - Received and grant Receipt.
			Total- 14,00,00,000/-			
						Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in: <i>[Signature]</i> Date: <u>12/11/15</u>

\*(in words) Rupees Fourteen crore only

\*To be used only in the case of remittance to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.

Received payment

Cashier/Treasurer

*[Signature]*  
Accountant

Date

12/11/15  
Agent or Manager

*[Signature]*  
Treasury Officer

Note : 1. In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs. 1,00,000/- do not require to signature of Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasury. 2. Particulars of money tendered should be given on the reverse. 3. In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer on receipt of Bank's Daily Sheet.